

mail

!! कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर !!

क्रमांक/स्था./2024/

दिनांक : 13 NOV 2024

-: आ दे थ :-

इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक स्था./2024/40405 दिनांक 11.11.2024 के आदेश क्रम-1 में आंशिक संशोधन किया जाकर किशनगढबास मुख्यालय पर स्थित अपर जिला एवं सेशन न्यायालयों का निम्न प्रकार स्थानीय फौजदारी क्षेत्राधिकार निर्धारित किया जाता है :-

क. सं.	न्यायालय का नाम	स्थानीय फौजदारी क्षेत्राधिकार
1	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-1, किशनगढबास	किशनगढबास थाना एवं आबकारी निरोधक दल, खैरथल
2	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-2, किशनगढबास	कोटकासिम एवं खैरथल थाना

शेष आदेश यथावत रहेगा।

sd-

(हरेन्द्र सिंह)

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अ ल व र

क्रमांक/स्था./2024/ 41140-50

दिनांक :

13 NOV 2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को सूचनार्थ।
- 2- अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-1, किशनगढबास/संख्या-2 किशनगढबास।
- 3- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर।
- 4- अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-1 किशनगढबास/संख्या-2 किशनगढबास।
- 5- सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढबास/कोटकासिम।
- 6- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, किशनगढबास/कोटकासिम।
- 7- सिस्टम ऑफिसर को जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर की वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सम्बंधित न्यायालयों को ई-मेल करने हेतु।

sd-

(हरेन्द्र सिंह)

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
अ ल व र